न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धौलपुर

पीठासीन अधिकारी – डॉ0 साधना शर्मा, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 29 / 14 आरसीएमएस नम्बरः–2014 / 00027

तहसीलदार धौलपुर वहैसियत लैण्ड होल्डर

----- प्रार्थी

बनाम

अमरसिंह पुत्र पोहपसिंह कौम गोलापूर्व सा0 लुहारी

----- अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 आरटीए

दिनांक – 10.09.2024

निर्णय

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नम्बर 692 रकवा 0–05 बीघा किस्म चा0अ0 बाके ग्राम लुहारी तहसील धौलपुर में स्थित है तथा अप्रार्थी की खातेदारी की आराजी है। अप्रार्थी को काश्त करने का पूर्ण अधिकार है किन्तु अकृषि प्रयोजन में लेने हेतु राज0 सरकार के नियमों के अन्तर्गत भूमि संपरिवर्तन कराये बिना कोई अधिकार नहीं है। इस प्रकार आराजी मुतनाजा पर अप्रार्थी ने अपने अधिकारों का उल्लंघन कर शर्त भंग की है। अप्रार्थीगण ने बिना भूमि संपरिवर्तन कराये एवं बिना अनुमति के विवादित आराजी पर निजी विद्यालय स्थापित कर दिया है जो कानूनी रूप से अवैद्य है तथा अप्रार्थी के बिना भूमि संपरिवर्तन कराये विवादित भूमि का अकृषि प्रयोजन करने का कोई अधिकार नहीं है। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा कृषि भूमि पर निहित अपने अधिकारों का हनन कर कृषि भूमि को हानि पहुंचाकर शर्त भंग की है जिसके तहत अप्रार्थी विवादित भूमि से बेदखल किये जाने व विवादित भूमि को सिवायचक किया जाना राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 के अंतर्गत भूमि को सिवायचक दर्ज कराने की आज्ञा प्रदान करने की कृपा करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। पत्रावली राजस्व लोक अदालत कोर्ट लुहारी में दिनांक 06.06.2017 को पेश हुयी। अप्रार्थी के पुत्र ने कैम्प में उपस्थित होकर कनवर्जन की फाइल लगाने का कथन किया। अप्रार्थी को 7 दिवस में कनवर्जन की फाइल लगाकर उसकी कॉपी न्यायालय में पेश करने का आदेश दिया। उसके पश्चात् अप्रार्थी की ओर से 2 वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी कन्वर्जन कार्यवाही किये जाने सम्बन्धी कोई दस्तावेज पेश नही किया है नाही न्यायालय में उपस्थित आया है।

पैरोकार सरकार की एकपक्षीय बहस सुनी गई। पैरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थीगण द्वारा कृषि भूमि को बिना अनुमति

के अकृषि प्रयोजन में उपयोग कर निजी विद्यालय का संचालन कर शर्त भंग की गई है। अप्रार्थी ने कृषि भूमि का निजी विद्यालय संचालन करने हेतु उपयोग में लेने से पूर्व विधिवत् भूमि रूपान्तरण अथवा कोई सक्षम स्वीकृति प्राप्त नही की गई है। अतः विवादित भूमि से अप्रार्थी को बेदखल कर भूमि को सिवायचक दर्ज किये जाने के आदेश दिये जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध जमावन्दी ग्राम मनियां सम्वत् 2069–72 के अनुसार विवादित आराजी अप्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि है। प्रार्थी की ओर से पत्रावली में प्रस्तुत खसरा संवत् 2069 में आराजी पडत दर्ज है। पत्रावली पर उपलब्ध मौका पर्चा दिनांक 24.12.2014 में विवादित आराजी के खसरा नम्बर में भिन्नता के संबध में तहसीलदार धौलपुर के पत्राक 2505 दिनांक 06.09.2024 से प्राप्त रिपोर्ट पटवारी हल्का लुहारी ने आ0ख0नं0 692 रकवा 0.0632 है0 किस्म चा0अलिफ अप्रार्थी के नाम दर्ज रिकॉर्ड होना बताया है जिसमें मौके पर निजी विद्यालय का भवन बना हुआ बताया है। अप्रार्थी के पुत्र ने ग्राम पंचायत लुहारी में दिनांक 06.06.2017 को कैम्प में उपस्थित होकर कन्वर्जन की कार्यवाही कराना कथन किया है अत: कृषि भूमि पर निर्माण करने की बात का अप्रार्थीगण द्वारा भी कोई विरोध नही किया गया है ना ही न्यायालय में उपस्थित होकर जवाब आदि पेश करने की कार्यवाही की है तथा पत्रावली पर उपलब्ध पटवारी हल्का की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि अप्रार्थी ने अपनी खातेदारी की कृषि भूमि का बिना सम्परिवर्तन कराये अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग किया है जो कि राजस्थान काश्तकारी नियमों का उल्लंघन है व अप्रार्थी को इसका कोई हक प्राप्त नहीं है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 177 के तहत हम विवादित आराजी से अप्रार्थी के खातेदारी अधिकार समाप्त कर आराजी को सिवायचक दर्ज किया जाना उचित समझते हैं।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी खसरा नम्बर 692 रकवा 0–05 बीघा ग्राम लुहारी तहसील धौलपुर पर अप्रार्थी के खातेदारी अधिकार समाप्त कर आराजी को सिवायचक घोषित किया जाता है। सम्बन्धित तहसीलदार को आदेशित किया जाता है कि तदनुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज कर भूमि से खातेदार को बेदखल कर भूमि कब्जे राज लेकर रिपोर्ट न्यायालय को भिजवावें। पत्रावली फैशल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 10.09.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ0साधना शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
धौलपुर